न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसुदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2019

श्रीमती राधा पत्नी छगना उम्र लगभग 50 साल जाति रावत
निवासी रेल का बाडिया तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

———प्रार्थीया

ब ना म

1– गजराजसिंह पुत्र श्री अन्नासिंह उम्र 55 साल जाति रावत निवासी ग्राम लाडपुरा तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर।

2– नीम्बा पुत्र श्री देवा उम्र 40 साल जाति रावत निवासी ग्राम लाडपुरा तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर।

3– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बिजयनगर जिला–अजमेर।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक

प्रार्थीया ने अपने पार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है,मौजा लाडपुरा पटवार हल्का देवास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामगढ तहसील बिजयनगर में खसरा नम्बर 344 रकबा 0.0687 है0, 340 रकबा 0.3236 है0, 341 रकबा 0.3761 है0, 342 रकबा 0.1779 है0, 343 रकबा 0.1334 है0,स्थित है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीया के नाम पर दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीया अपनी आराजीयात पर कब्जाकाश्त एवं उपयोग उपभोग मालिकाना हक व अधिकार बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के करती चली आ रही है, प्रार्थीया अपनी आराजियात की पत्थरगढी नहीं होने से अपनी आराजियात की तरक्की नही कर पा रही है। तथा पडौसी खातेदार आए दिन डोल पाल को लेकर विवाद करते रहते है। एवं पत्थरगढी नही होने के कारण पडौसी खातेदार प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को पाबंद करे कि वे प्रार्थीया की उपरोक्त आराजी की पत्थरगढ़ी किये जाने से किसी प्रकार से कोई बाधा या रूकावट उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को बावजूद नोटिस तामील होने पर उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के अनुसार खाता संख्या 125 में प्रार्थीया खातेदार के नाम दर्ज होना पाया गया। एंव जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के अनुसार खसरा नम्बर 344 प्रार्थीया एव हरलाल पुत्र भूरा में खातेदार दर्ज होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थीया विवादित भूमियो की जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने की अधिकारी पाई जाती हैं।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीया से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थीया के विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम गठित मौजा लाडपुरा पटवार हल्का देवास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर के खसरा नम्बर 344 रकबा 0.0687 है0, 340 रकबा 0.3236 है0, 341 रकबा 0.3761 है0, 342 रकबा 0.1779 है0, 343 रकबा 0.1334 है0, भूमियो का नियमानुसार मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.12 17:11:39 IST
Reason: SelfAttested